भारत निर्वाचन आयोग

सेवाएं एवं अनुरक्षण अनुभाग

सं. 187/16(3)/डीडब्ल्यू/2016(एस एवं एम)/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या/प्रशा./2016 दिनांक: 19.08.2016.

निविदा दस्तावेज

जनशक्ति सेवा प्रदाता द्वारा भारत निर्वाचन आयोग में कुशल/अर्ध-कुशल/अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए।

(क) *निविदा दस्तावेज जारी करने की अवधि* : *प्रकाशन की तारीख से* 10 *दिन*

(ख) *निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख एवं समय*: 09.09.2016 के अप. 3.00 बजे तक

(ग) *निविदा बोलियां खुलने की तारीख एवं समय*: 09.09.2016 [अप. 4.00 बजे]

(घ) *पात्र बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों का खोला जाना* : .09.2016 [अप. 2.30 बजे]

(ङ) *अपेक्षित जनशक्ति की तैनाती शुरू होने की संभावित तारीख*: 01.10.2016

कार्य का परिक्षेत्र एवं बोलीदाताओं के लिए सामान्य अनुदेश

1. *भारत निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली में अवस्थित है, को कुशल (रसोइया)/अर्ध-कुशल (टी मेकर) और अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिष्ठित, सुस्थापित और वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ जनशक्ति सेवा प्रदाताओं की आवश्यकता है।*

2. *पूर्वोक्त जनशक्ति उपलब्ध कराने के लिए संविदा प्रारंभण की तारीख से तीन वर्ष के लिए है और इसके* **01.10.2016** *से प्रारंभ होने की संभावना है और शुरू में यह* **30.09.2017** *तक चलेगी जिसे संतोषजनक कार्य-निष्पादन, सामान्य जरूरत की अपेक्षा* **30**% *तक की बढ़ोतरी, ड्रेस अनुशासन, योग्यता एवं प्रशिक्षण आदि की शर्त के अधीन वार्षिक आधार पर बढ़ाया जा सकता है। चयनित सेवा प्रदाता की सेवा में खामी होने या उसके द्वारा तैनात जनशक्ति की घटिया गुणवत्ता होने या आयोग की अपेक्षाओं में बदलाव होने की वजह से संविदा में* **30.09.2017** *से पहले कटौती/समाप्त की जा सकती है। हालांकि, आयोग, चयनित सेवा प्रदाता को एक सप्ताह का नोटिस देकर किसी भी समय इस प्रारंभिक संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।*

3. *आयोग को शुरू में कुशल रसोइया एवं अर्ध-कुशल टी मेकर सहित* **40-62** *अकुशल श्रमिकों की जरूरत है। इस जरूरत में कोई भी/सभी श्रेणियों के लिए जरूरत के अनुसार सामान्य जरूरत से* **30**% *की वृद्धि/कमी हो सकती है।*

4. *इच्छुक जनशक्ति सेवा प्रदाता* **50,000**/- *रु की धरोहर राशि जमा (ईएमडी) एवं अन्य अपेक्षित दस्तावेजों के साथ सभी दृष्टियों से पूर्ण निविदा दस्तावेज* **09.09.2016** *के अप.* **3.00** *बजे तक निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-***1** *में जमा कर सकते हैं।*

5. *"भारत निर्वाचन आयोग में जनशक्ति सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निविदा" से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण तिथियां नीचे दी गई हैं:-*

(क) *निविदा दस्तावेज जारी करने की अवधि* **:** *प्रकाशन की तारीख से* **10** *दिन*

(ख) *निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की तारीख एवं समय***:** **09.09.2016** *के अप.* **3.00** *बजे तक*

(ग) *निविदा बोलियां खुलने की तारीख एवं समय***:** **09.09.2016** [*अप.* **4.00** *बजे*]

(घ) *पात्र बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों का खोला जाना* **:** **.09.2016** [*अप.* **2.30** *बजे*]

(ङ) *अपेक्षित मैनपावर की तैनाती शुरू होने की संभावित तारीख***:** **01.10.2016**

6. *यह निविदा दो बोली पद्धति अर्थात् तकनीकी बोली और वित्तीय बोली के अंतर्गत आमंत्रित की गई है। इच्छुक एजेंसियों को सलाह दी जाती है कि वे दो अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे, जिनके ऊपर "भारत निर्वाचन आयोग में जनशक्ति सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी बोली" और "भारत निर्वाचन आयोग में जनशक्ति सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय बोली" लिखा हुआ हो, प्रस्तुत करें। दोनों ही मुहरबंद लिफाफे एक तीसरे मुहरबंद लिफाफे में रखे जाने चाहिंए जिसके ऊपर "भारत निर्वाचन आयोग में जनशक्ति सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निविदा" लिखा हुआ होना चाहिए।*

7. *सेवा प्रदाता को तकनीकी बोली के साथ* **50,000/-** *रु* **(***रुपए पचास हजार मात्र***)** *की प्रत्यर्पणीय* **(***बिना ब्याज के***)** *धरोहर राशि जमा* **(***ईएमडी***)**, *जो अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के नाम में आहरित डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में होनी चाहिए, अवश्य संलग्न होनी चाहिए, ऐसा नहीं करने पर निविदा सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी।*

8. *सफल निविदाकार को अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के नाम में आहरित* **1,25,000/-** *रु* **(***रुपए एक लाख पचास हजार मात्र***)** *की संविदा की अवधि को कवर करने वाली परफार्मेंस सिक्युरिटी डिपॉजिट, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारंटी के रूप में हो, प्रत्यर्पणीय* **(***बिना ब्याज के***)** *धरोहर राशि जमा* **(***ईएमडी***)**, *जो डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के रूप में होनी चाहिए, जमा करनी होगी। संविदा को प्रारंभिक अवधि से और आगे विस्तारित करने की दशा में सफल निविदाकार द्वारा बैंक गारंटी तद्नुसार नवीकृत की जानी होगी।*

9. *निविदत्त जनशक्ति सेवा प्रदाताओं के लिए अपेक्षित है कि वे तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की फोटोप्रतियां* **(***भारत सरकार के समूह "क" राजपत्रित अधिकारी या राज्य सरकार के श्रेणी-। अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से अभिप्रमाणित***)** *संलग्न करें, ऐसा नहीं करने पर उनकी बोली सरसरी तौर पर/तत्काल निरस्त कर दी जाएगी और उस पर आगे कोई विचार नहीं किया जाएगा***:-**

   (क) *आवेदक संगठन का पंजीकरण प्रमाण पत्र;*
   (ख) *पैन/जीआईआर कार्ड की प्रति;*
   (ग) *पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए दाखिल आईटी विवरणी की प्रति*
   (घ) *ईपीएफ एवं ईएसआई प्रमाण पत्रों की प्रति;*
   (ङ) *सेवा कर पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति;*
   (च) *बैंक खाते के प्रमाणित उद्धरण जिनमें पिछले तीन वर्षों के दौरान के लेन-देन दिए गए हों।*

10. *सशर्त बोलियों पर नहीं विचार किया जाएगा और उन्हें पहली ही नजर में तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा।*

11. *निविदा प्रपत्र में सभी प्रविष्टियां पठनीय और साफ-साफ भरी जानी चाहिए। यदि सूचना उपलब्ध कराने के लिए स्थान पर्याप्त नहीं हो तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित एक पृथक पत्रक लगाया जाना चाहिए। वित्तीय बोली प्रपत्र में कोई भी ओवरराइटिंग या कटिंग की अनुमति नहीं है। ऐसे मामलों में निविदा तत्काल अस्वीकृत कर दी जाएगी। हालांकि, तकनीकी बोली आवेदन में कटिंग, यदि कोई हों, पर निविदा बोलियों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा निश्चित रूप में आद्यक्षर किए जाने चाहिए।*

12. *तकनीकी बोलियां, इस प्रयोजनार्थ गठित समिति द्वारा निर्धारित तारीख एवं समय यानि* **09.09.2016** *के अप***. 4.00** *बजे कमरा सं***. 209***-ई, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली में जनशक्ति सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों, यदि कोई हों, जो उस समय मौके पर उपस्थित रहना चाहते हों, उपस्थिति में खोली जाएंगी।*

13. *केवल उन्हीं निविदाकारों की वित्तीय बोली खोली जाएगी जिनकी तकनीकी बोलियां नियमानुसार पाई जाएंगी। वित्तीय बोलियों के खोलने की तिथि एवं समय के बारे में अलग से सूचित किया जाएगा। वित्तीय बोलियां इस प्रयोजनार्थ गठित समिति द्वारा उन अर्हता-प्राप्त निविदाकारों या उनके प्रतिनिधियों, जो उस समय मौके पर उपस्थित रहना चाहते हों, की उपस्थिति में खोली जाएंगी।*

14. *आयोग के सक्षम प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए सभी बोलियों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।*

15. *किसी विवाद होने की दशा में, भारत निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।*

निविदा प्रस्तुत करने वाले जनशक्ति सेवा प्रदाता के लिए तकनीकी अपेक्षाएं

1. *निविदा प्रस्तुत करने वाले जनशक्ति सेवा प्रदाता को निम्नलिखित तकनीकी विनिर्देशन की पूर्ति करनी चाहिए:*

   (क) *पंजीकृत कार्यालय या कोई एक शाखा कार्यालय या तो दिल्ली/नई दिल्ली में अवस्थित होना चाहिए।*

   (ख) *उन्हें उपयुक्त पंजीकरण प्राधिकारी के पास पंजीकृत होना चाहिए।*

   (ग) *उनके पास सरकारी विभागों, प्राइवेट कम्पनियों, लोक उपक्रमों/बैंकों आदि में जनशक्ति उपलब्ध कराने में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।*

   (घ) *उनके पास अपना स्वयं का बैंक खाता होना चाहिए।*

   (ङ) *उन्हें आय कर एवं सेवा कर विभागों में पंजीकृत होना चाहिए।*

   (च) *उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियमों के तहत उपयुक्त प्राधिकारियों के यहां पंजीकृत होना चाहिए।*

सफल जनशक्ति सेवा प्रदाता द्वारा भारत निर्वाचन आयोग में परिनियोजित की जानी वाली जनशक्ति हेतु तकनीकी अपेक्षाएं।

कुशल/अर्धकुशल/अकुशल श्रमिक हेतु

1. *वह* **18** *वर्ष की आयु से अधिक होना/ होना चाहिए।*
2. *उसके पूर्व स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों से एजेंसी द्वारा सत्यापित करवाएं हुए होने चाहिए।*

आवेदन- तकनीकी बोली

1. *भारत निर्वाचन आयोग को जनशक्ति सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु।*

2. *टेंडर देने वाले जनशक्ति सेवा* **:** _____ *प्रदाता प्रदाता का नाम*

3. *रू.* 50,000/- *की बयाना राशि* **:** *डीडी सं.*_____*दिनांक*_____

देय बैंक का ब्योरा _____

4. *प्रोपराईटर/ निदेशक का नाम* **:** _____

5. *पंजीकृत कार्यालय का पूरा पता* **:** _____

_____

_____

दूरभाष सं. **:** _____

फैक्स सं. **:** _____

ई-मेल का पता **:** _____

6. *कार्यात्मक कार्यालय/ शाखा कार्यालय* _____

का पूरा पता **:** _____

_____

दूरभाष सं. **:** _____

फैक्स सं. **:** _____

ई-मेल का पता **:** _____

7. *जन शक्ति सेवा प्रदाता का बैंक* **:**

(*पिछले तीन वर्षों के लेखा विवरण की* _____

सत्यापित प्रति संलग्न करें) _____

बैंक का टेलीफोन नं. **:** _____

8. *जनशक्ति सेवा प्रदाता का बैंक* **:**

(*प्रमाणित प्रति संलग्न करें*) _____

9. *सेवा कर रजिस्ट्रेशन सं.* **:**

(*सत्यापित प्रति संलग्न करें*) _____

10. *ई.पी.एफ. रजिस्ट्रेशन सं.* **:** _____

(*सत्यापित प्रति संलग्न करें*)

11.*ई.एस.आई. रजिस्ट्रेशन सं.* **:** _____

(*सत्यापित प्रति संलग्न करें*)

12. *टेंडर देने वाले जनशक्ति सेवा प्रदाता का पिछले* **3** *वित्तीय वर्षों का टर्नआवर* **:-**

(*यदि उपलब्ध स्थान पर्याप्त नहीं है तो अलग कागज संलग्न करें*)

वित्तीय वर्ष	*राशि* (*रू. लाख में*)	*टिप्पणी, यदि कोई हो*
2013-14		
2014-15		
2015-16		

13. *टेंडर देने वाले जनशक्ति सेवा प्रदाता द्वारा पिछले तीन वर्षों में इस प्रकार के किए गए संविदा/ अनुबंधो का निम्नलिखित प्रारूप में विवरण दें।*

(*यदि उपलब्ध स्थान पर्याप्त नही है तो अलग कागज संलग्न किया जा सकता है।*):

क्रम सं.	*क्लाईंट का नाम, पता, दूरभाष एवं फैक्स सं.*	*जनशक्ति सेवा प्रदाता*		*संविदा/अनुबंध की राशि* (*रू. लाख में*)		*संविदा/ अनुबंध की अवधि*
		जनशक्ति प्रदाता का प्रकार	*सं.*		*से*	*तक*

14. *अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो*

(*यदि अपेक्षित हो तो अलग शीट संलग्न करें*)

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

पूरा नाम **:**

तारीख **:**

स्थान **:**

मोहर **:**

घोषणा

1. मैं_______________________________________पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री _________________________________ ______________________________________उपर्युक्त सेवा प्रदाता का प्रोपराइटर/ निदेशक/ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता इस घोषणा को एवं इस संविदा दस्तावेज को हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम हूं;
2. मैनें संविदा की सभी शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ एवं समझ लिया है और मैं उन्हें मानने का वचन देता हूं;
3. उपर्युक्त आवेदन के साथ प्रदान की गई सूचना/ प्रस्तुत किए गए दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं प्रमाणिक हैं। मुझे/हमें यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि किसी भी प्रकार की झूठी सूचना/जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने से किसी भी चरण में हमारी संविदा निरस्त कर दी जाएगी और इसके साथ-साथ उपयुक्त विधि के अन्तर्गत देयता के लिए हम पर मुकदमा चलाया जाएगा।

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

पूरा नाम :

तारीख :

स्थान:

मोहर:

आवेदन वित्तीय बोली

भारत निर्वाचन आयोग को जनशक्ति सहायता उपलब्ध करवाने हेतु

1. *टेंडर देने वाले जनशक्ति प्रदाता का नाम:*
2. *सभी सांविधिक देयताओं, करों, उगाही, उपकरों इत्यादि को शामिल करते हुए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह (आधा घण्टा भोजन अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन 8 घण्टे) दर:*

क्रम सं.	*जनशक्ति का प्रकार*	*सभी सांविधिक कटौतियों को शामिल करते हुए प्रति व्यक्ति मासिक दर*
1.	*कुशल*	
2.	*अर्ध-कुशल*	
3.	*अकुशल श्रमिक*	

कुशल/अर्धकुशल/अकुशल जनशक्ति (श्रमिक) के लिए उद्धृत दरों का विवरण/ब्योरा

क्रम सं.	*प्रति माह दर राशि के अवयव (रू. में)*	*प्रति माह राशि के अवयव (रू. में) कुशल*	*प्रति माह राशि के अवयव (रू. में) अर्ध-कुशल*	*प्रति माह राशि के अवयव (रू. में) अकुशल*	*प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रभार*
1.	*मेहनताना*				
2.	*ईपीएफ अंशदान @*				
3.	*ईएसआई अंशदान @*				
4.	*सेवा प्रभार*				
5.	*सेवा कर*				
6.	*अन्य प्रभार, यदि कोई हो(कृपया विवरण विनिर्दिष्ट करें)*				
7.	*प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कुल प्रभार*				
8.	*कुल उद्धृत धनराशि*				

**दरें, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में लागू है, के अनुसार उद्धृत की जानी चाहिए।*

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

पूरा नाम :
तारीख:
स्थान:
मोहर:

टिप्पणियां :

1. *टेंडर देने वाली एजेंसी द्वारा उद्धृत दरों में संविदा हस्ताक्षर करते समय प्रवृत्त सभी सांविधिक/कर देयतांए शामिल होनी चाहिए।*
2. *केवल कैलेण्डर माह के समाप्त होने पर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा की गई ड्यूटी के लिए कार्य दिवसों की संख्या के आधार पर भुगतान किया जाएगा।*

निबंधन एवं शर्तें

सामान्य

1. *श्रमिक प्रदाता संविदाकार/फर्म के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा जारी श्रमिक प्रदाता लाइसेंस होना चाहिए और वह ऐसे लाइसेंस की फोटो प्रति जमा कराएगा।*
2. *श्रमिक प्रदाता संविदाकार/फर्म के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा जारी सेवा पंजीकरण संख्या होनी चाहिए और वह ऐसी पंजीकरण संख्या की फोटो प्रति जमा कराएगा।*
3. *उपर्युक्त जनशक्ति उपलब्ध करवाने के लिए संविदा प्रारंभतः एक वर्ष के लिए होगी जिसे परस्पर सहमत नियमों और शर्तों तथा संतोषजनक कार्य-निष्पादन के आधार पर वार्षिक रूप से अगले दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है; बशर्ते सेवा में खामियों, तैनात जनशक्ति की घटिया गुणवत्ता, संविदा शर्तों के उल्लघन या आयोग की आवश्यकताओं में परिवर्तन के कारण इसे आयोग द्वारा कम या समाप्त न कर दिया जाए।*
4. *श्रमिकों को संविदाकार द्वारा उपलब्ध कराई गई वर्दी में ही आना चाहिए, बिना वर्दी के उन्हें भवन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।*
5. *उन्हें कार्य करने का उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वे पूर्णतः अनुशासित होने के साथ-साथ कार्यालय में उचित मर्यादा का पालन करें तथा शिष्ट हों।*
6. *सेवा प्रदाता संविदाकार को आयोग की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी अन्य एजेंसी को इस संविदा की देयताओं और इसके अधिकारों को उप-अनुबंधित करने या इस संबध में वचन देने, संविदा को किसी ओर को निर्दिष्ट करने या स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं होगी।*
7. *आयोग को इस समय कुशल बावर्ची और अर्ध-कुशल चाय बनाने वाले सहित* **40-62** *अकुशल श्रमिकों की तत्काल आधार पर आवश्यकता है। किसी भी या सभी श्रेणियों में आवश्यकतानुसार आयोग की अपेक्षाएं सामान्य अपेक्षाओं से* **30**% *घट या बढ़ सकती हैं।*
8. *बाद के चरणों में या निविदा जमा करते समय, निविदाकार आयोग को उसके द्वारा प्रस्तुत विवरणों से बाध्य होगा। यदि किसी भी समय किसी भी चरण में उसके द्वारा प्रस्तुत ऐसे दस्तावेजों को असत्य पाया जाता है तो इसे संविदा का उल्लंघन माना जाएगा जो कि संविदा रद्द करने के साथ-साथ उसे उसके विरूद्ध विधिक कार्रवाई का भागी बनाएगा।*
9. *आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह संविदाकार एजेंसी को एक सप्ताह का नोटिस देते हुए संविदा को किसी भी समय समाप्त कर दे।*
10. *तैनात व्यक्तियों से सुबह* **7.30** *बजे अवर सचिव (प्रशासन) को रिपोर्ट करने की अपेक्षा की जाती है और वे सायं* **16.00** *बजे से पहले कार्यालय नहीं छोड़ेंगे। तैनात व्यक्तियों से सायं* **16.00** *के बाद भी कार्य करने की अपेक्षा की जा सकती है। यदि किसी महीने में तैनात व्यक्ति तीन बार से अधिक अनुपस्थित रहता है या देर से आता है/ कार्यालय से जल्दी चला जाता है तो उसके वेतन से एक दिन की आनुपातिक कटौती की जाएगी।*
11. *यदि कभी ऐसे व्यक्ति से* **16.00** *बजे के बाद भी कार्य करने को कहा जाता है तो उसे आयोग के विवेकानुसार ऐसी दरों पर जिसे आयोग उचित समझे, ओवरटाइम भत्ता दिया जाएगा।*
12. *सेवा प्रदाता एक कोऑर्डीनेटर नामित करेंगे जो आयोग के साथ तत्काल बातचीत के लिए उत्तरदायी होंगे ताकि एजेंसी द्वारा तैनाती व्यक्तियों की इष्टतम सेवाओं का बिना किसी बाधा के लाभ उठाया जा सके।*
13. *इस आयोग में तैनात जनशक्ति सेवाओं के संबंध में संपूर्ण वित्तीय दायित्व सेवा प्रदाता के होंगे और आयोग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।*
14. *सभी अभिप्रायों और प्रयोजनों के लिए, इस आयोग में तैनात और इस प्रकार से नियुक्त जनशक्ति के संबंध में विभिन्न श्रम कानूनों के अर्थों के अंतर्गत, सेवा प्रदाता 'नियोक्ता' होगा। इस आयोग में सेवा प्रदाता द्वारा तैनात व्यक्तियों का भारत निर्वाचन आयोग से कर्मचारी या नियोक्ता या ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं होगा और इस संबंध में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।*
15. *सेवा प्रदाता ही तैनात व्यक्तियों के संबंध में विवादों के समाधान/ शिकायतों के निवारण के लिए जिम्मेवार होगा। आयोग किसी भी प्रकार से ऐसे मामलों के समाधान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।*
16. *आयोग ऐसे किसी वित्तीय नुकसान या सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को अपने कार्यों/कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान चोट लगने या किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।*
17. *सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति संविदा की समाप्ति के पश्चात या संविदा के दौरान इस आयोग के नियमित कर्मचारियों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं भत्तों और वेतन के न तो हकदार ही होंगे और न ही इसका कोई दावा करेंगे।*
18. *इस संविदा के समाप्त होने पर इसके अवसान अथवा अन्यथा पर सेवा प्रदाता द्वारा तैनात व्यक्ति इस आयोग में नियमित/अन्य रूप से सेवा में किसी प्रकार के आमेलन का कोई दावा नहीं करेंगे।*

विधिक

19. *अपने कार्य के दौरान ये कार्मिक कुछ ऐसे दस्तावेजों या सूचनाओं से अवगत होंगे जो कि उन्हें तृतीय पक्ष से साझा नहीं करनी होगी। इसके आलोक में उन्हें गोपनीयता की शपथ लेनी होगी और इस शर्त का उल्लंघन सेवा प्रदाता के साथ-साथ संबंधित व्यक्ति भी संविदा का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई के अतिरिक्त अन्य सुसंगत उपबंधों या भारतीय दंड संहिता, आपराधिक दंड संहिता के अधीन दंडात्मक कार्रवाई का भागी होगा।*

20. *सेवा प्रदाता, आयोग में तैनात व्यक्तियों के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा, भविष्य निधि और न्यूनतम मजदूरी के संबंध में सांविधिक उपबंधों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा। इस संबंध में आयोग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।*

21. *सेवा प्रदाता, अपने द्वारा निर्वाचन आयोग को प्रदान की गई सेवाओं के लिए, उपकरों, उगाहियों तथा सभी करों को विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुसार समय-समय पर संबंधित कर संग्रह प्राधिकारियों को जमा कराने के भी उत्तरदायी होंगे।*

22. *सेवा प्रदाता विधि के अधीन सभी सांविधिक रजिस्टर रखेंगे। इस आयोग के संबधित प्राधिकारी अथवा विधि के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा इन्हें मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।*

23. *स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) आयकर अधिनियम/नियमों के उपबंधों समय-समय पर यथासंशोधित के अनुसार की जाएगी और आयोग द्वारा इस संबंध में एजेंसी को एक प्रमाणपत्र भी दिया जाएगा।*

24. *यदि सेवा प्रदाता उपयुक्त विधि के अधीन किसी सांविधिक/कर देयता का अनुसरण करने में असफल रहता है और इसके परिणामस्वरूप आयोग को कोई नुकसान/देयता, मौद्रिक या अन्यथा का सामना करना पड़े तो आयोग को यह हक होगा कि वह मौद्रिक रूप से हुए नुकसान या देयता की सीमा के बराबर की राशि सेवा प्रदाता के बकाया बिलों या कार्य निष्पादन प्रतिपूर्ति जमाराशि से स्वयं की प्रतिपूर्ति कर ले।*

वित्तीय

25. *तकनीकी बोली के साथ रु. 50,000/- (पचास हजार रुपये केवल) की बयाना जमा राशि (ईएमडी) होनी चाहिए, जो कि बिना ब्याज के प्रतिदेय होगी, यह राशि डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के रूप में होगी जो कि अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में देय होगा। ऐसा न करने पर संविदा को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा।*

26. *जो कंपनियां तकनीकी बोली (प्रथम स्तर) वित्तीय बोली (दूसरी प्रतिस्पर्धी अवस्था) में सफल नहीं होंगी, उनके संबंध में बयाना जमा राशि बिना ब्याज के उन्हें वापस कर दी जाएगी। तथापि, सफल निविदाकार के संबंध में ई.एम.डी को कार्यनिष्पादन प्रतिभूति जमा की मद में समायोजित कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि एजेंसी आर्डर देने के 30 दिनों के अंदर प्रारंभिक आवश्यकता के संबंध में अपेक्षित जनशक्ति तैनात करने में असफल रहती है तो बिना कोई नोटिस दिए बयाना जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।*

27. *सफल निविदाकार को रु. 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार रु केवल) की राशि की प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी जो कि सावधि जमा रसीद (एफ डी आर) /बैंक गारंटी के रूप में होगी जो संविदा की अवधि के लिए, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से एजेंसी के नाम से होगी परंतु उसका रेहननामा अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के नाम से होगा। यदि संविदा की अवधि को प्रारंभिक अवधि से और आगे बढ़ाया जाता है, तो एफडीआर/ बैंक गारंटी को सफल निविदाकार द्वारा तद्नुसार नवीकृत किया जाएगा।*

28. *इस संविदा के साथ संलग्न किसी भी निबंधन व शर्तों का उल्लंघन होने के मामले में, संविदा रद्द करने के साथ-साथ एजेंसी का कार्य निष्पादन प्रतिभूति जमा जब्त कर लिया जाएगा।*

29. *एजेंसी तैनात किए गए व्यक्तियों के संबंध में अनुभाग अधिकारी (सेवाएं एवं अनुरक्षण अनुभाग) द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित उपस्थिति पत्रक सहित तीन प्रतियों में बिल बनाएगी और उसे अगले महीने के पहले सप्ताह में अवर सचिव (प्रशा.), भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करेगी। जहां तक संभव होगा, भुगतान अगले महीने के दूसरे सप्ताह तक कर दिया जाएगा।*

30. *कर्मचारी राज्य बीमा, भविष्य निधि तथा सेवा कर इत्यादि के संबंध में बिलों में दावे के साथ संबंधित माह बिल से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य अनिवार्य रूप से होने चाहिए। बिल के अपेक्षित भाग/ पूरे बिल की राशि को, आयोग के विवेकानुसार, साक्ष्यों के अभाव में तब तक रोका जा सकता है जब तक कि साक्ष्य प्रस्तुत न किए जाएं।*

31. एजेंसी द्वारा तीन कार्य दिवसों से अधिक की अवधि कि लिए उपयुक्त प्रतिस्थानी उपलब्ध कराने में होने वाली देरी, यदि हुई है तो, के कारण रु. 100/- प्रति दिन के हिसाब से दंड राशि परिकलित की जाएगी और इसे सेवा प्रदाता के अगले महीने के बिलों से काट लिया जाएगा।

32. भारत निर्वाचन आयोग के पास ऊपर उल्लिखित किसी भी निबंधन व शर्तों को वापस लेने/ छूट देने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ताकि बाद के चरणों में होने वाली समस्याओं से बचा जा सके।

33. सेवा प्रभार का उल्लेख न करने वाली वित्तीय बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः, उपयुक्त सेवा प्रभार इंगित किए जाएं ताकि मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 (1936 का 4) के अधीन अनुज्ञेय या इस संबंध में विशेष अथवा सामान्य आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कटौतियों को छोड़कर बिना किसी कटौती के वेतन का भुगतान किया जा सके।

राजन जैन

(राजन जैन)
अवर सचिव

<u>तकनीकी बोली के साथ दस्तावेजों की व्यवस्था का क्रम</u>

1. *आवेदन- तकनीकी बोली।*
2. *एजेंसी के पंजीकरण संबंधी अनुप्रमाणित प्रति।*
3. *पिछले तीन वर्षों की एजेंसी के बैंक लेखों के विवरण की प्रमाणित प्रति।*
4. *पैन/जी आई आर कार्ड की प्रमाणित प्रति।*
5. *एजेंसी द्वारा फाइल किए गए नवीनतम रिटर्न की अनुप्रमाणित प्रति।*
6. *सेवा कर पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति।*
7. *पी एफ पंजीकरण पत्र/ प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति।*
8. *ई.एस.आई. पंजीकरण पत्र/ प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति।*
9. *एजेंसी के वित्तीय कारोबार के समर्थन के प्रमाणित दस्तावेज।*
10. *तकनीकी बोली आवेदन के स्तम्भ* **13** *में प्रविष्ठियों के समर्थन में प्रमाणित दस्तावेज।*
11. *निविदा दस्तावेज में पृष्ठ* **7-9** *पर निबंधन और शर्तों की प्रति जिसका प्रत्येक पृष्ठ स्वीकार्यता की निशानी स्वरूप प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित एवं सील किया जाए।*

जनशक्ति की तैनाती से पहले सफल एजेंसी द्वारा जमा कराए जाने वाले दस्तावेजों की व्यवस्था का क्रम

1. *भारत निर्वाचन आयोग में तैनाती के लिए एजेंसी द्वारा संक्षिप्त सूचीबद्ध जनशक्ति की सूची जिसमें पूरा विवरण होगा यथा जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, पता, शिक्षा इत्यादि होंगे।*
2. *सभी व्यक्तियों का जीवन-वृत्त।*
3. *स्थानीय पुलिस प्राधिकारी द्वारा सभी व्यक्तियों के पूर्ववृत्त के सत्यापन का प्रमाणपत्र।*